LT-17/4/80

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) AS G.S.R. NO. 835 DATED 16-6-1979.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

...

New Delhi, the 31st May, 1979.

NOTIFICATION

G.S.R.835.-- In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960 :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 1979;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,-

(1) for rule 16, the following rule shall be submitted, namely:-

"16.- Report of information obtained by the licensee.-

(1) The licensee shall submit to the State Government a quarterly report of the work done by him stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical or other valuable data collected by him during the period. The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates.

.....2/-

(2) The licensee shall also submit to the State Government within three months of the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier, a full report of work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the licence.

(3) While submitting reports under sub-rules (1) or (2), the licensee may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential; and the State Government shall thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier."

(2) in Schedule 1, in Form F, in part II, for clause 17A, the following clause shall be substituted, namely:-

Report of information obtained by Licensee :-

"17A. (1) The licensee shall submit to State Government:-

(a) a quarterly report of the work done by him stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical or other valuable data collected by him during the period.

The report shall be submitted within three months of the close of the period to which it relates;

(b) within three months of the expiry of the licence,

....3/-

or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the licence.

(2) While submitting reports under clause (1), the licensee may specify that the whole or any part of the report or data submitted by him shall be kept confidential; and the State Government shall thereupon keep the specified portions as confidential for a period of two years from the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier."

(File No. 1(29)/73-MVI/MM)

PARSAN CHANDRA, Under Secretary.

भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(i) में सा0का0नि0 835 दिनांक 31-5-1979
के रूप में प्रकाशित

....

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

...

नई दिल्ली, 31 मई, 1979

सा0का0नि0 835 — केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में,—

(1) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट—

(1) अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार को अपने द्वारा किए गए कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट, उस अवधि के दौरान लगाए गए व्यक्तियों की संख्या बताते हुए और अपने द्वारा संग्रहीत भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय या अन्य मूल्यवान आंकड़े पूर्णरूप से प्रकट करते हुए, प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट उस अवधि की समाप्ति से, जिससे वह संबंधित है, तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार को, अनुज्ञप्ति की समाप्ति, या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के, इनमें से जो भी पहले हो, तीन मास के भीतर अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए कार्यों और पूर्वेक्षण, संक्रियाओं के दौरान अपने द्वारा अर्जित खनिज स्रोतों से सुसंगत सभी जानकारी की पूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1) या (2) के अधीन रिपोर्टें प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण रिपोर्ट या उसका कोई भाग या कोई आंकड़े गोपनीय रखे जाएंगे, और राज्य सरकार तब, विनिर्दिष्ट भागों को अनुज्ञप्ति की समाप्ति, या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान से, इनमें से जो भी पहले हो, दो वर्ष की अवधि तक गोपनीय रखेगी।"

...2/.

(2) अनुसूची I में, प्ररूप च में, भाग-II में, खण्ड 17क के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्–

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जानकारी की रिपोर्ट:–

"17क(1) अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(क) अपने द्वारा किए गए कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट, उस अवधि के दौरान लगाए गए व्यक्तियों की संख्या बताते हुए और अपने द्वारा संग्रहित भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय या अन्य मूल्यवान आंकड़े पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए, प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट उस अवधि की समाप्ति से, जिससे वह संबंधित है, तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ख) अनुज्ञप्ति की समाप्ति, या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान से, इनमें से जो भी पहले हो, तीन मास के भीतर अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए कार्यों और पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने द्वारा अर्जित खनिज स्रोतों से सुसंगत सभी जानकारी की पूर्ण रिपोर्ट।

(2) उपखंड (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण रिपोर्ट या उसका कोई भाग या कोई आंकड़े गोपनीय रखे जाएंगे और राज्य सरकार तब, विनिर्दिष्ट भागों को अनुज्ञप्ति की समाप्ति, या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान से, इनमें से जो भी पहले हो, दो वर्ष की अवधि तक गोपनीय रखेगी।"

(फा0सं0 1(29)/73-एम-6/एम एम)

(प्रसन्न चन्द्र)
अवर सचिव

EXTRACTS FROM MINERAL CONCESSION RULES, 1960

Rule 16. Report of information obtained by licensee,- The licensee shall submit confidentially to the State Government a quarterly report of work done by him stating the number of persons engaged and disclosing the geological and geophysical and other valuable data collected by him during the period and also submit to the State Government within three months of the expiry of the licence or abandonment of the operations or determination of licence, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all other relevant informations acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the Licence.

Clause 17A of Part II of Model Form F

(17A) The licensee shall submit confidentially to the State Government a quarterly report of work done by him stating the number of persons engaged and disclosing the geological and geophysical and other valuable data collected by him during the period and also submit to the State Government within three months of the expiry of the licence or abandonment of the operations or determination of licence, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all other relevant informations acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the licence.

खनिज रियायत नियम, 1960 में से उध्दरण

16. अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंसदार) द्वारा प्राप्त की गई जानकारी की रिपोर्ट — अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा किए गए काम की एक तिमाही रिपोर्ट राज्य सरकार को गोपनीय रूप से देगा जिसमें उस अवधि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या बताई गई हो और उसके द्वारा संगृहीत भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय तथा अन्य मूल्यवान आंकड़े प्रकट किए गए हो और वह अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने द्वारा किए गए काम की और अपने द्वारा अर्जित सभी अन्य सुसंगत जानकारी की एक पूरी रिपोर्ट भी अनुज्ञप्ति के अवसान या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, जो भी पूर्वतर हो, के तीन मास के भीतर राज्य सरकार को देगा ।

xx xx xx xx xx xx

फार्म च, भाग- 2 की धारा (17क) का उध्दरण

(17क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट – अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा किए गए कार्य की एक त्रैमासिक रिपोर्ट गोपनीय रूप से राज्य सरकार को देगा जिसमें उस अवधि के दौरान उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या बताई जाएगी और संगृहीत भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय तथा अन्य मूल्यवान आंकड़े प्रकट किए जाएंगे और वह अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने द्वारा किए गए काम और अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी अन्य सुसंगत जानकारी की पूरी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को अनुज्ञप्ति के अवसान या संक्रियाओं के परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस के तीन मास के भीतर भेजेगा ।